रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/97.-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 10 जनवरी, 1997/20 पौष, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 1997

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)34-5/96-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश संख्यांक 1) को, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

1997 का अध्यादेश संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करन के लिए **अध्यादेश** ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

1994 का 12.

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) नगर निगम में इस धारा के अधीन निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी पार्षद होंगे और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षद के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगी :

परन्तु इस उप धारा के अधीन नाम निर्देशित व्यक्तियों को निगम की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

धारा 254 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 254 में, उप धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) जब निर्माण का स्वामी अपने बन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो आयुक्त, धारा 255 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अध्यधीन विचलन के मामलों का मन्जूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगा :

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में—

(i) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि; या

(ii) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए ; या

(iii) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वलित है — 1969 का 21.

वहां आयुक्त मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगा ।

(5 क) उप धारा (5) के अधीन आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, मण्डलायुक्त को अपील कर सकेगा ।

(5 ख) उप धारा (5क) के अधीन अपील में मण्डलायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, मण्डलायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी विहित रीति में, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(5 ग) अपील प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप-धाराएं (5क) और (5ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलें दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा ।

(5 घ) राज्य सरकार उप धाराएं (5), (5क) और (5ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्यधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में मंजूर रेखांक से विचलन क मामलों का प्रशमन कर सकगी ।"

महावीर प्रसाद,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला :
तारीख : 8-1-97.

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. ORDINANCE No. 1 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1997

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (*Act No.* 12 *of* 1994)

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance : —

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1997.

Amendment of section-4.

12 of 1994

2. For sub-section (3) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely: —

"(3). In the Corporation, in addition to persons chosen by direct election under this section, the members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the Councillors and the State Government may, by notification, also nominate as Councillors, not more than three, persons having special knowledge or experience of Municipal administration:

Provided that the persons nominated under this sub-section shall not have the right to vote in the meeting of the Corporation".

Amendment of section 254.

3. In section 254 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely: —

"(5) When the owner of the building submits the revised plan, after the work has been stopped by him or the work is completed by him and there are deviations from the sanctioned plan, the Commissioner may, subject to the special or general directions of the State Government under section 255, compound the cases of

deviations upto 10% from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection of building—

(*i*) on any Government land belonging to or the land vested in a municipality or a local authority ; or

(*ii*) by covering any public road, street, path or drain ; or

(*iii*) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1969 ; 21 of 1969

The Commissioner shall not compound deviations from the sanctioned plan.

(5 *A*) Any person aggrieved by the decision of the Commissioner under sub-section (5), may, within thirty days from the passing of the order by the Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the Divisional Commissioner.

(5 B) Any person aggrieved by the decision of the Divisional Commissioner in appeal under sub-section (5 A), may, within thirty days from the order made by the Divisional Commissioner and in such manner prescribed, appeal to the State Government.

(5 *C*) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub-sections (5A) and (5 B) and for calculating the period of thirty days under the said sub-sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.

(5 *D*) Notwithstanding anything contained in sub-sections (5), (5A) and (5B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship compound the cases of deviations from sanctioned plans.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-6 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।